भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/72/2021/एफ.सी./340 दिनांकः 08/06/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद –पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट–सैनथल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(online no. FP/UK/Road/50469/2020)**

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 2727/ **FP/UK/Road/50469/2020** दिनांक 12-05-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. इस कार्यालय के बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रस्ताव को लाभान्वित होने वाले गांवों पर ही समाप्त किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा मार्ग को आगे बढाये जाने का स्पष्टीरकण मान्य नहीं किया जा सकता। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 पर कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3- प्रस्ताव के अनुसार मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण निजी भूमि पर भी किया जाना है। जिसकी जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 पर अपलब्ध नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार निजी भूमि मे मलवा निस्तारण की जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 में अपलोड करने का कष्ट करें।

4- भू–संदर्भित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग बिन्दु सं0 'A' से होता हुआ बिन्दु सं0 'E' के आगे तक जा रहा है, जबकि वैकल्पिक मार्ग में बिन्दु सं0 'A' से 'E' तक की दूरी प्रस्तावित मार्ग से कम प्रतीत हो रही है। जिससे वैकल्पिक मार्ग ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक मार्ग न चुनने का कारण स्पष्ट करें।

5- यदि राज्य सरकार चाहे तो आगामी एफ.आर.सी.एम. की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

06.06.22

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)